जगदीश सिंह बनाम सरकार

13-2-20

अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार चल रहा था। जो दिनांक 21–02–2013 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उक्त वादपत्र को रेस्टोर करवाने हेतु अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जोकि दिनांक 28–12–2018 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि धारा 5 मियांद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे देरी को कण्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सके। जबकि अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से बिना विलम्ब किये पत्रावली से संबंधित दस्तावोजों की नकलें प्राप्त करते हुए उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के हक व हकूक निहित है। न्याय की भी यह मंशा रही है कि किसी भी पक्षकार को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये उसके जायज अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि प्रकरण में पक्षकारों के अधिकारो का निर्धारण मूल वाद में गुणावगुण के आधार पर तय होना है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत को निर्देश प्रदान करावें कि वे दिनांक 21–03–2013 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज वादपत्र को रेस्टोर करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करें ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि चूंकि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 21–03–2013 को खारिज वादपत्र को पुनः रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र करीब 05 वर्ष उपरान्त बिना किसी ठोस आधारों के प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए दिनांक 21–03–2013 को अदम हाजरी व अदम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पैरवी में खारिज वादपत्र को रेस्टोर करने की इस्तदुआ की गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का रेस्टोरशन प्रार्थना पत्र मियांद के बिन्दु पर खारिज कर दिया गया। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न आदेशिकाओं का अवलोकन किया। अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण तलब के स्तर पर जैरकार चल रहा था तथा अपीलांट की तरफ से उनके अधिवक्ता निरन्तर उपस्थित आ रहे थे। ऐसीस्थिति में किसी भी पक्षकार के लिये यह संभव नहीं है कि वे प्रत्येक पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आवें। लिहाजा अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा कारित की गई भूल का खामियाजा किसी पक्षकार को नहीं दिया जा सकता। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण के निस्तारण से बचा जाना चाहिए। प्रस्तुत मामलें में भी पक्षकारों के हितों का निर्धारण अपील में गुणावगुण पर तय होना शेष है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलांट के मूल वाद को पुनः नम्बर पर लेकर गुणावगुण पर वादपत्र का निस्तारण करें। अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 12–03–20 को उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें। निर्णय आज दिनांक 13–02–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.26 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: